समाजशास्त्र
BA Part III
Paper - VII
5/9/20

① Social Pathology From -

(बालअपराध)
JUVENILE DELINQUENCY)

Dr Atul Kumar
Reader
Deptt of Sociology
Sherghati College
Gaya

अपराध की प्रकृति तथा बाल अपराधी की आयु को ध्यान मे रखते हुए अनुभवी अपराधशास्त्रियो तथा समाजशास्त्रियो ने बाल अपराध को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। डॉ एम जे० सेथना ने सामान्य आधार पर बाल अपराध की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि एक बच्चा जो सड़को पर घूमता रहता है, स्कूल से भागने की आदत वाला हो, आवारा लड़को के साथ रहता हो, छोटी आयु से धूम्रपान करता हो, सदैव ही बड़ो की आज्ञा का उल्लंघन करता हो, चोरो और बुरे चरित्र वाले व्यक्तियो की संगति मे रहता हो,

वेश्याओ और पापी व्यक्तियो के साथ रहता हो जुए के अड्डो एव जुए से सम्बन्धित खेल खेलता हो तथा पारिवारिक कलह का कारण हो, एक बाल अपराधी कहलाता है। डॉ सेथना के इस कथन से स्पष्ट होता है कि एक निश्चित आयु से कम के बच्चो द्वारा किए जाने वाले कोई भी वे कार्य बाल अपराध के अन्तर्गत आते है। जो समाज विरोधी है अथवा जिनसे समूह कल्याण को हानि पहुँचती है। वास्तव मे बाल अपराध का यह अर्थ इतना सामान्य है कि इसकी सहायता से बाल अपराध की वास्तविक प्रकृति को नही समझा जा सकता। इस दृष्टिकोण से बाल अपराध की कुछ परिभाषा से समझना आवश्यक है।

गिलिन और गिलिन के अनुसार - समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल अपराधी वह है जिसके कार्य को समूह गिरा हुआ समझता है तथा जिसके कार्य समाज के लिए हानिकारक होने के कारण निषिद्ध होते है।

→ डॉ० एम के सेथना के अनुसार - बाल अपराध के अन्तर्गत किसी स्थान विशेष के कानून के अनुसार एक निश्चित आयु से कम बच्चे द्वारा किये जाने वाले समाज विरोधी कार्यो को सम्मिलित किया जाता है।

उपर्युक्त परिभाषाओ से स्पष्ट है कि बाल अपराध एक निश्चित आयु से कम के बच्चो द्वारा किए जाने वाला कोई भी वह समाज-विरोधी कार्य है जो

Scanned by TapScanner

देश कानून के कानून के अनुसार निषिद्ध होता है। भिन्न समाजों के कानून एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यही कारण है विभिन्न समाजों में बाल अपराध की कसौटियाँ भी एक दूसरे से कुछ भिन्न होते हैं उदाहरण के लिए जापान में 14 वर्ष लेकर 20 वर्ष तक की आयु के बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराध को बाल अपराध माना जाता है जबकि स्वीडन में 9 वर्ष से 21 वर्ष तक आयु के अपराधी बच्चे बाल अपराधी कहे जाते हैं। जहाँ तक भारत का प्रश्न है वहाँ भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार –

(1) भारत में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किए गए अपराध को अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता है क्यों कि इस आयु में बच्चा अविवेक होता है।

(2) बाल अधिनियम 1960 के अनुसार 7 वर्ष से 16 वर्ष वर्ष तक की आयु तक के लड़कों तथा 7 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों द्वारा किये जाने वाले कानून विरोधी व्यवहार बाल अपराध के अन्तर्गत आते हैं 16 से 21 वर्ष तक के लड़कों तथा 18 से 21 वर्ष तक की लड़कियों द्वारा किये गये अपराध को किशोर अपराध कहा जाता है। एक ही अपराध के लिए इन दोनों श्रेणियों के लिए अलग अलग न्यायिक प्रक्रिया और दण्ड-प्रक्रिया अपनायी जाती है।

(3) बाल अपराधी का तात्पर्य केवल साधारण अपराधों से होता है। नौ वर्ष से अधिक का कोई बच्चा यदि हत्या, राजद्रोह अथवा किसी भी गम्भीर ऐसे अपराध का दोषी हो जिसके लिए मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान हो तो ऐसे अपराध को बाल अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता।

भारत में बाल अपराध की समस्या

को ~~समस्या~~ सर्वप्रथम बाल अपराध का मुख्य रूप से एक नगरीय समस्या है। बड़े-बड़े नगरों में मध्यम वर्ग के बहुत से परिवारों के माता-पिता द्वारा नौकरी

Scanned by TapScanner

करने के कारण बच्चों पर परिवार का नियन्त्रण नहीं रह जाता। निम्न आर्थिक वर्गों के बच्चों का जीवन आरम्भ से ही उच्छृंखल बनने लगता है। धीरे-2 बुरी संगति के कारण बहुत से बच्चे अपराध करने लगते हैं। दूसरी बात यह है कि भारत में लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक अपराध करते हैं। इसके बाद भी लड़कियों द्वारा किये जाने वाले बाल अपराधों की संख्या में भी अब तेजी से वृद्धि होने लगी है। तीसरे- बाल अपराध के सबसे अधिक जुआ खेलने, जेब काटने, चोरी करने, तथा मामूली-तस्करी जैसे सामान्य अपराध करने से सम्बन्धित-पाये जाते हैं।

चौथे- बाल अपराध की समस्या मुख्य रूप से-संगठित गिरोहों से सम्बन्धित है। जो निर्धन वर्ग के बच्चों को बहला फुसलाकर उन्हें तरह-2 के अपराध करने का प्रशिक्षण देते हैं। यदि आयु के आधार पर इस समस्या का मूल्यांकन किया जाए तो ज्ञात होता है कि सबसे अधिक बाल अपराध 12 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों द्वारा किये जाते हैं। भारत में अवैध रूप से नशीले पदार्थों को बेचने में भी कम आयु के बहुत से बच्चे लिप्त पाये जाते हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि बाल अपराधियों में 9। प्रतिशत बाल अपराधी के बच्चे हैं जो या तो बुरी तरह अशिक्षित हैं अथवा वे माध्यमिक स्तर से ऊपर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। बाल अपराध तथा अशिक्षा के बीच एक गहरा सम्बन्ध देखा जाता है। बाल अपराधियों में-85% से अधिक बच्चे वे हैं जिन्होंने पहली बार अपराध किया। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि बाल अपराध एक गम्भीर नागरीय समस्या का रूप लेती जा रही है। लेकिन अधिकांश बाल अपराध आर्थिक कारणों से नहीं बल्कि पारिवारिक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाओं का परिणाम होते हैं। भारत में आज सबसे ज्यादा बाल अपराध महाराष्ट्र में ही है। जबकि मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तरप्रदेश तथा तमिलनाडु में भी इस समस्या का रूप काफी गम्भीर है।

Anau
Dr Anil Kumar
Reader
Deptt of Sociology
Shershah College
SASARAM

Scanned by TapScanner